UPBS120000041991

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

प्रकीर्ण वाद सं० 133/1991

गुरूदत्त बनाम पुद्दन आदि

22.07.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर सायल मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 36 क 2 पर सुना–

सायल द्वारा प्रार्थनापत्र 36 क 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि विपक्षी सं० 2/1 सुरेश की मृत्यु पिता मंगरू के जीवनकाल में दिनांक 15.06.2017 को हो गयी थी, परन्तु न जानकारी के कारण मृतक सुरेश के स्थान पर उनके पुत्र दुर्गेश का नाम प्रार्थनापत्र 34 क 2 में नहीं दिया गया, जबकि मृतक सुरेश का नाम प्रार्थनापत्र 34 क 2 में दिया गया है, जो भूल व गलती से हो गया है, जिसे जरिए संशोधन दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु विपक्षी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि सायल द्वारा प्रार्थना पत्र 36 क 2 प्रस्तुत करते हुए वरासत प्रार्थनापत्र 34 क 2 में संशोधन किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रार्थनापत्र 36 क 2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 36 क 2 स्वीकार किया जाता है। सायल आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 34 क 2 दिनांक 31.08.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।